33

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1685–तीन/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–5–2002 – पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरेना – प्रकरण कमांक 31/2000–02 अपील

1– श्रीमती भागवती पत्नि प्रहलाद
पुत्री हीरालाल ग्राम जखौदा, हाल
ग्राम सेमई तहसील कैलारस
2– महिला कटोरी पत्नि स्व.रोशन
पुत्री हीरालाल ग्राम रून्धान
हाल ग्राम सेमई तहसील कैलारस ––आवेदकगण

विरूद्ध

बलराम पुत्र विष्णु कुशवाह
ग्राम सेमई तहसील कैलारस
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से **अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा**)

(~~अनावेदकगण~~ सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 3–5 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 31/2000–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–2002 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है ग्राम सेमई स्थित कुल रकबा 9 वीघा 14 विसवा भूमि में हीरालाल हिस्सा 1/2 के सहभागीदार थे, जिनकी मृत्यु उपरांत अनावेदक ने तहसील न्यायालय में बसीयत के आधार पर नामान्तरण करने की मांग रखी, जिस पर तहसील न्यायालय कैलारस के प्रकरण कमांक 3/97-98 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 12-5-2000 से बसीयत अमान्य करते हुये मृतक काशीराम की पुत्रियॉ (आवेदकगण) का नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, कैलारस के समक्ष अपील कमांक 39/99-2000 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 20.11.2000 से अपील अमान्य की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 31/2000-02 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 31-5-2002 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण बसीयत की जांच एंव पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 3/97-98 अ-6 में नामान्तरण कार्यवाही प्रारंभ कर पक्षकारों की सुनवाई की गई, बसीयत के सम्बन्ध में

साक्ष्य ली गई है परन्तु बसीयत को जिस नोटरी अभिभाषक ने संपन्न किया है उनके तहसील न्यायालय में न तो कथन कराये गये है और न ही नोटरी संपन्न करने का पुष्टिकरण लिया गया है जिसके कारण तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 12-5-2000 अपूर्ण साक्ष्य पर आधारित होने के कारण अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 12-5-2000 को एंव अनुविभागीय अधिकारी, कैलारस के आदेश दिनांक 20.11.2000 को उचित नहीं ठहराया है एंव वास्तविक स्थिति की जॉच हेतु तथा पक्षकारों को साक्ष्य एंव सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उद्धेश्य से प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 31/2000-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2002 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर